संख्या–739/61–2011

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

निर्वाचन अनुभाग: लखनऊ दिनांक: 18 नवम्बर, 2011

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निजी स्टाफ हेतु एक निजी सचिव के पद का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सृजित अपर निजी सचिव के दो पदों में से एक पद को आस्थगित रखते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के निजी स्टाफ हेतु एक निजी सचिव का अस्थाई पद वेतन बैण्ड रू0–9300–34800 ग्रेड पे रू0–4800/– में सृजित किये जाने पर इस शर्त के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

2– उक्त पद के पद धारक को शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार ग्रेड वेतन, महँगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–41 (निर्वाचन विभाग) के अंतर्गत लेखा शीर्षक, "2015–निर्वाचन–आयोजनेत्तर–103–निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण–05–निर्वाचन अधिष्ठान व्यय," के अन्तर्गत सुसंगत मानक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–12–2689/दस–2011, दिनांक 17 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
प्रमुख सचिव

संख्या–739(1)/61–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा (प्रथम)/आडिट(प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12,
3– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वरिष्ठ विशेषज्ञ, सिस्टम, एनआईसी, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 सचिवालय की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव